स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर

क्रमांक : प.4(1-आर)( )स्वा.के.रा.कृ.वि./सी/2022/ 226   दिनांक : 18.06.2022
२२

कार्यालय आदेश

स्थानीय निधि अंकेक्षण, जांच दल, के समक्ष इस विश्वविद्यालय की इकाइयों द्वारा प्रस्तुत लेखा अभिलेखो के आधार पर आलौच्य अवधि 2019-20 से संबन्धित पुस्तकालयों सम्बन्धी अनियमितताएं, आक्षेप संख्या 15, द्वारा यह तथ्य अधोहस्ताक्षरकर्ता के ध्यान में आया है कि विभागीय स्तर पर पुस्तकालयों का भौतिक सत्यापन नियम 14 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया अनुसार नियमित रूप से नहीं किया जा रहा है।

अतः विश्वविद्यालय इकाई के पुस्तकालयों के कार्यालयाध्यक्षों को एतद द्वारा निर्देश जारी किये जाते है कि आक्षेप संख्या 15, अंकेक्षण टिप्पणी, जिसकी छाया प्रति संलग्न है, के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करावे तथा उक्त नियमानुसार पालना सुनिश्चित करावे।

उक्तानुसार, जारी इस अति आवश्यक निर्देश की विश्वविद्यालय में पालना सुनिश्चित रूप से करावे ताकि भविष्य में उक्त अनियमितताएं की पुनरावृति न हो ।

(पवन कुमार कस्वाँ)
वित्तनियंत्रक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. समस्त अधिष्ठाता/निदेशक, स्वा.के.रा.कृ.वि., बीकानेर।
2. कुलसचिव, स्वा.के.रा.कृ.वि., बीकानेर।
3. निजी सचिव कुलपति, स्वा.के.रा.कृ.वि., बीकानेर।
4. कोषाधिकारी, स्वा.के.रा.कृ.वि., बीकानेर।
5. प्रभारी CIMCA, स्वा.के.रा.कृ.वि., बीकानेर को वि.वि. वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

(पवन कुमार कस्वाँ)
वित्तनियंत्रक

आक्षेप सं. 15 :–

पुस्ताकालयों सम्बन्धीअनियमितताएं :–

स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर में कृषि महाविद्यालय बीकानेर, गृह विज्ञान महाविद्यालय बीकानेर, कृषि व्यवसाय प्रबन्धन संस्थान बीकानेर एवं विश्वविद्यालय केन्द्रीय पुस्तकाल कुल 04 पुस्तकालय स्थापित है।

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग–II के नियम 7(4)(v) के अनुसार सरकारी पुस्तकालय और संग्रहालय पुस्तकों एवं प्रदर्शो (exhibits) आदि की सूचियां (केटलोग) के अलावा, आदिनांक स्टॉक लेखे एवं स्थायी स्टॉक की उन सभी वस्तुओं की, जिनसे उनका सम्बन्ध है, वस्तु सूची संधारित करेगें। जहां तक सरकार के विभिन्न पुस्तकालयों द्वारा अर्जित पुस्तकों का सम्बन्ध है वहां एक्सेसन पंजिका (एस.आर. प्रारूप–3) में आवश्यक अभिलेख रखा जायेगा।

नियम 14(1) के अनुसार यदि पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या 20000 से अधिक न हो तो पुस्तकों का भौतिक सत्यापन प्रत्येक वर्ष किया जायेगा।

नियम 14(2) के अनुसार यदि पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या 20000 से अधिक हो तो सत्यापन अधिक से अधिक 3 वर्षों के अन्तराल पर किया जाएगा। पुस्तकालय की कम से कम एक तिहाई पुस्तकें प्रत्येक वर्ष जांची जाएगी।

स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के आलौच्य अवधि के अंकेक्षण में पाया गया कि पुस्तकालयों द्वारा एक्सेसन रजिस्टर नियमानुसार संधारित किए जा रहे है।

विभागीय स्तर पर पुस्तकालयों का भौतिक सत्यापन नियम 14 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया अनुसार नियमित रूप से नहीं किया जा रहा है। अतः नियमानुसार पालना सुनिश्चित करावें।

राम प्रसाद तिवाड़ी (प्रभारी)
(सहायक लेखाधिकखरी ग्रेड–I)

जीतेश कुमार यादव
(कनिष्ठ लेखाकार)